न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–22/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00015)

1. हनुमान पुत्र स्व. श्री गाडाराम, उम्र 80 वर्ष,
2. मुख्त्यार पुत्र स्व0 श्री गाडाराम, उम्र 65 वर्ष समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बैरला, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू।
3. करण सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम बेरला, तहसील, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ, जिला झुन्झंनू, राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. धर्मपाल पुत्र जगनाराम जॉगिड़, निवासी ग्राम बेरला, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 19.03.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 21.11.2016 (प्रकरण संख्या 23/16) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 प्रकटतः कानूनी व तथ्यों के खिलाफ होने के कारण व जिला कलक्टर के पत्रांक दिनांक 21.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के निर्देशों की व्याख्या, अपनी मनमर्जी से अपने उच्चाधिकारियों व सरकार की मंशा के बिलकूल खिलाफ जाकर पारित किया गया है, जो पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के रास्ते सम्बन्धित कानून व नियमों के अनुसार समस्याऐ व उनका समाधान व निराकरण बाबत निर्देश दिये गये है जिनमें समस्या संख्या 1 का आधार लेते हुये एवं उपरोक्त परिपत्र में दिये गये समाधान की आड़ लेकर अपीलार्थीगण की निजी भूमि में से बिना कोई रास्ते के होते हुये अपनी मनमर्जी से नया

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त परिपत्र में दिये गये समाधान के अनुसार "राज्य में अनेक अस्थाई रास्ते राजकीय और व निजी भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नही है। स्थाई सार्वजनिक रास्ते है, जो बारहमासी है तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के जाने हेतु उपलब्ध है, ऐसे रास्ते का राजस्व अभिलेख मे अंकन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों अनुसार किया जावेगा। यहॉ पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जायेगी इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें। निरीक्षण भू अभिलेख नियमों के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा, तहसीलदार रास्ते के अंकन हेतु प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देंगे, उपखण्ड अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तरकरण जरिये रास्तों का अंकन लाल स्याही से किया जायेगा प्रार्थना पत्र की बहुलताजन्य जटिलता निवारण हेतु यह उचित रहेगा कि एक गांव हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जावें।" उपरोक्त समाधान के अनुसार रास्ता सार्वजनिक हो, स्थायी हो, चालू हो लेकिन तहसीलदार सूरजगढ ने उपरोक्त सभी तथ्यों को ताक पर रखकर मनमाने पूर्ण ढंग से अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 383 व 384 में से खसरा नम्बर 378 तक रास्ते का प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ को दिनांक 27.09.2016 को प्रेषित किया है जबकि मौके पर कोई रास्ता ही नही है, ऐसी स्थिति मे किसी आमजन के लिये अवागमन के लिये उपलब्ध होने का तो सवाल ही नही है ऐसी सूरत में सार्वजनिक रास्ते का प्रस्ताव दिया जाना तहसीलदार के मनमाने पूर्ण रवैये का व्याख्यान करता है तथा उपखण्ड अधिकारी का उपरोक्त आदेश पूर्ण रूप से परिपत्र के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि नक्शा सीट दिनांक 23.09.2016 खसरा नम्बर 394, 383, 384 378 में प्रस्तावित रास्ता डाटेड लाईन से दर्शाया गया जबकि इसी नक्शे में नोट लगाया हुआ है कि वर्तमान में मौके पर चालू नही है उक्त नक्शा सीट के जो नोट लगाया गया है वो भी राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानों के बिलकूल विपरित है क्योंकि उक्त नक्शे में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि अनेक स्थायी रास्ते जो राजकीय व निजी भूमियों में से चालू है किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नही है, स्थायी सार्वजनिक रास्ते वे है जो बाहरमासी है तथा ऋतुओं के अनुसार बदलते नही है व आमजन के आने जाने के लिऐ है इस कारण उपरोक्त आदेश परिपत्र के प्रावधानों के बिलकूल विपरित होने के कारण निरस्त किय जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि दिनांक 28.12.2016 को रेसपोडेन्ट संख्या 2 व उसके कर्मचारी मौके पर

ने दिनांक 29.12.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के कार्यालय में जाकर जानकारी की तथा नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा गई तथा उक्त अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी जानकारी का अभाव मात्र रही है जिसे माफ किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है, जो स्वीकार फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलान्ट के हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है, इसलिये अपीलान्ट को उक्त अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे एवं उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 383, 384, 378, 394 हेतु नियमानुसार बाद जॉच एवं तहसीलदार के प्रस्ताव अनुसार आदेश प्रसारित किया है, जो पूर्णरूपेण विधि सम्मत आदेश है, उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार ने नक्श में नियमानुसार तरमीम करते हुये जमाबन्दी में भी अंकन कर दिया, तथा विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तहसीलदर सूरजगढ में प्रस्तुत किया जो तहसीलदार ने बाद जॉच 05.10.2016 को रास्ता खोलने व रूकावट न डालने का आदेश पारित किया जो आज्ञा, अंतिम आज्ञा है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 आराजी खसरा नम्बर 378 का खातेदार है, रास्ता चालू है व इसी प्रकार खसरा नम्बर 394, 383, 384 में होकर रास्ता कटानी है, जो प्रथम भू प्रबन्ध से है, उक्त रास्ता काकोड़ा से बेरला जाता है एवं काफी समय से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट कानूनी कार्यवाही कर रहा है इसलिये रेस्पोडेन्ट को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुये यह अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपील प्रस्तुत होने में हुऐ विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को

धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट्स आराजी खसरा नम्बर 383 व 384 के खातेदार काश्तकार है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हे पक्षकार ही नही बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी उन्हे पक्षकार नही बनाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्ररकण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।